


व्यापार मंडली गणतंत्राची मंडळ राज्य नॅशनल
मध्य प्रेषण सासन, मॅम्बाल (महाराष्ट्र)

अपील अर्जियेदन पत्र
२००१ साली ६२ (राज्य मंडळ)

डॅगप्रसाद पाठक वनप रामसुभा रामराव निवासी ग्राम नवपीपण विहार तहसील
विजयगिरी जिला विजयगिरी महाराष्ट्र - - - - - अर्जियेदन

बनाम A-448-I/2012

डा. कुमर प्रसाद नरना / मंडळी गणतंत्राची मंडळ निवासी ग्राम तेवंगावा तहसील विजयगिरी
जिला अर्जियेदन - - - - - अर्जियेदन



क्रमांक २२६५१८२
रजिस्टर्ड पोस्ट
दिनांक २३/२/१२

अपील विरुद्ध प्रॉफ. ५११ / विजयगिरी /
०५/०६ आदेश आर्डर डीट दि. ०८/०८/०६

कॉलेज
२१/१०/१५
२३-२-१२
SP-०२२६५१८२

अपील अर्जियेदन मंडळी अर्जियेदन निम्न ही -
निवेदन आहे. प्रार्थी आपले भूमि स्वामित्व की मुभीये का बरेल
मंडळी तहसील वा विजयगिरी के घास प्रस्तुत विषय, तहसील कार मंडळ
अपील अर्जियेदन १९५९ की धारा १७८ के तहत लगी
वा तैयार करावा पालु अर्जियेदन डा. कुमर प्रसाद इस कार्याची हेसल
०८/०३/०५ अर्जियेदन प्रॉफ. ५६ / विजयगिरी / २००५-०६ प्रस्तुत किए इसका
निर्णय दि. ०३/०६/२००६ मंडळी हे इस आदेश के विरुद्ध अपील
विजयगिरी प्रॉफ. ५११ / ०५/०६ आदेश दि. ०८/०८/०६ प्रस्तुत मंडळी
अपील अर्जियेदन अर्जियेदन के समक्ष किए है, मांगीये मंडळी मंडळी
प्रॉफ. ५११ व फाइन दि. ०८/१०/२००६ की मंडळी मंडळी मंडळी
फर्द पुष्पी बरेलवाय पर आर्डर डीट दि. ०८/०८/०६ के धारा येकका
पिए है जो ६ वर्ष है ये है जोय नही है पाई है कोर निर्णय
मंडळी विषय जा रहा है जो अर्जियेदन है। अर्जियेदन अर्जियेदन मंडळी
दिसे की जमीन की जेत ले रहे है, प्रार्थी की हस्ति है यी है
डॉ. राजख लैठिता १९५९ की धारा १७८ के विपरीत है, यह अर्जियेदन
दि. ०८/०८/२००६ विरुद्ध विरुद्ध व एक पाठिय है, स्वर्ग आदेश
की समक्ष लीता मंडळी है वैसे ही यह प्रॉफ. ५११ खासिये काम पोषण है।



24/2/12

डॅगप्रसाद पाठक अर्जियेदन मंडळी मंडळी मंडळी मंडळी मंडळी
१९५९ की धारा १७८ का पालन पर अपील अर्जियेदन अर्जियेदन मंडळी मंडळी
विषय विरुद्ध आर्डर डीट आदेश दि. ०८/०८/०६ खासिये किया जाकर
फर्द पुष्पी बरेलवाय दि. ०८/०६/०५, अर्जियेदन अर्जियेदन मंडळी मंडळी
तहसील विजयगिरी की रिजल्ट पुरालमी हेतु निर्दिष्ट करने की कृपा
प्रदान की जाय अर्जियेदन अर्जियेदन मंडळी मंडळी मंडळी मंडळी मंडळी


अपील अर्जियेदन मंडळी मंडळी मंडळी मंडळी मंडळी
जोगप्रसाद / रामसुभा नवपीपण
विहार तहसील जिला विजयगिरी (महाराष्ट्र)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-A.448-I/12

जिला-सिंगरौली

गंगा प्रसाद पाठक/ठाकुर प्रसाद

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	